न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 12/2021

1 मो. इब्राहिम आयु 74 साल पुत्र स्व. हनीफ
2 मो. ईस्माईल आयु 69 साल पुत्र स्व. हनीफ
3 जुबेदा आयु 84 साल पत्नी स्व. शबीर
4 मोह. मुस्लिम आयु 57 साल पुत्र स्व. शबीर
5 महमुद अली आयु 48 साल पुत्र स्व. शबीर
6 मोह. इलियास आयु 43 साल पुत्र स्व. शबीर जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड नं. 34 मोहल्ला चेजारा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 श्रीमती बिस्मीला उम्र 64 साल पत्नी स्व. श्री खलील
2 अब्दुल रहमान उम्र 33 साल पुत्र स्व. श्री खलील
3 अब्दुल मजीद उम्र 31 साल पुत्र स्व. श्री खलील
4 रहमत बानो उम्र 28 साल पुत्री श्री खलील
जाति व्यापारी निवासीगण वार्ड नं. 34 झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5 अब्दुल अजीज उम्र 41 साल पुत्र स्व. श्री खलील जाति व्यापारी निवासी वार्ड नं. 34 झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6 श्रीमती सुगना पत्नी स्व. यासीन जाति चेजारा मुसलमान निवासी मोहल्ला चेजारा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील फौत
7 श्रीमती शाकरून आयु 57 साल पत्नी स्व. अयुब
8 इरफान आयु 35 साल पुत्र स्व. अयुब
9 हैदर अली आयु 31 साल पुत्र स्व. अयुब
10 सदाम आयु 29 साल पुत्र स्व. अयुब जाति चेजारा मुसलमान निवासीगण मोहल्ला चेजारा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
11 इकबाल पुत्र स्व. यासीन जाति चेजारा मुसलमान निवासीगण मोहल्ला चेजारा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील फौत
11/1 सकील पुत्र इकबाल जाति चेजारा मुसलमान निवासीगण मोहल्ला चेजारा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

11/2 नसीम पत्नी बबन पुत्री इकबाल जाति चेजारा मुसलमान निवासीगण मोहल्ला चेजारा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
12 जाकिर आयु 46 साल पुत्र स्व. यासीन
13 जाबिर आयु 38 साल पुत्र स्व. यासीन
14 मो. इस्लाम आयु 56 साल पुत्र स्व. यासीन जाति चेजारा मुसलमान निवासीगण मोहल्ला चेजारा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
15 श्रीमती जुलेखां आयु 59 साल पुत्री स्व. शबीर पत्नी मोह. आमीन जाति कसाई व्यापारी मुसलमान निवासी मोहल्ला आथूना नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
16 श्रीमती खैरून आयु 54 साल पुत्री स्व. शबीर पत्नी अयुब जाति कसाई व्यापारी मुसलमान निवासी मोहल्ला काजीवाड़ा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
17 श्रीमती शाकरून आयु 49 साल पुत्री स्व. शबीर पत्नी मोहम्मद उमर जाति कसाई (व्यापारी) मुसलमान निवासी बड़ी मस्जिद के पास मोहल्ला व्यापारियान फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
18 श्रीमती शाफीया आयु 46 साल पुत्री स्व. शबीर पत्नी मोहम्मद जाति कसाई व्यापारी मुसलमान निवासी कालती हवेली के पास झुन्झुनूं।
19 साजिद आयु 37 साल पुत्र स्व. अयुब जाति चेजारा मुसलमान निवासीगण मोहल्ला चेजारा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
20 श्रीमती खातुन आयु 39 साल पुत्री स्व. अयुब पत्नी जाकिर जाति चेजारा मुसलमान निवासीगण मोहल्ला चेजारा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
21 श्रीमती जैतुन आयु 48 साल पुत्री स्व. यासीन पत्नी अनवर जाति चेजारा मुसलमान निवासीगण मोहल्ला चेजारा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
22 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
23 आयुक्त नगर परिषद झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रार्थना पत्र बाबत पुनः नम्बर पर लिय जाने अपील
उनवानी मो. इब्राहिम आदि बनाम श्रीमती बिस्मीला
आदि अपील नं. 82/2012 आदेश दिनांक 08.01.2020

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री उम्मेद सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विकास कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 27/4/26

यह वाजदायरी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 82/2012 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा दावा संख्या 343/2008 में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में आवेदनकर्ता द्वारा अपील संख्या 82/2012 प्रस्तुत की गई थी। विचाराधीन निर्णय से यह अपील अदम हाजरी में खारिज की गई है। इसके विरूद्ध वाजदायरी आवेदन धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उपरोक्त उनवानी अपील में तारीख पेशी दिनांक 08.01.2020 नियत थी उक्त दिनांक को उक्त अपील में आगामी पेशी दिनांक 11.03.2020 नियत की गई थी दिनांक 11.03.2020 को अपीलार्थीगण का अधिवक्ता न्यायालय में गया तब पता चला कि अपील दिनांक 08.01.2020 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी। दिनांक 11.03.2020 को अपील खारिज होने पर पक्षकारान को सूचित किया गया परन्तु इस दौरान कोविड 19 के कारण लोक डाउन हो गया इसलिये अपील को पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अब अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ताओं से सम्पर्क किया तब दिनांक 07.07.2021 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुई अपील की नकल ली जो दिनांक 09.07.2021 को मिली। नकल मिलने से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है यदि प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद नहीं माना जाता है तो दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। प्रार्थना

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (केन्द्र झुंझुनूं)

पत्र अन्दर मियाद दर्ज किया जाना न्यायोचित है क्योंकि अपील के खारिज के तथ्य की जानकरी दिनांक 11.03.2020 को हुई उसके पश्चात लोक डाउन रहा इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अपील खलील के वारिसान ने प्रस्तुत की थी। खलील अहमद के वारिसान भूमि खसरा नम्बर 27 को काश्त करते है व काबिज है अपील पुनः नम्बर पर नहीं आती है तो प्रार्थीगण गंभीर रूप से प्रभावित होते है। प्रकरण अचल सम्पत्ति से संबंधित है इसलिये अपील पुनः नम्बर पर लिया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नं. 6 सुगरा की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान पूर्व से रिकार्ड पर है तथा रेस्पोडेन्ट नं. 11 इकबाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। जिनको भी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लेकर रेस्पोडेन्ट नं. 11/1 व 11/2 के रूप में जोड़ा जाना न्यायोचित है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वाजदायरी प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा वाजदायरी आवेदन के साथ प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर वाजदायरी आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में मूल अपील मूल दावे में पारित डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। इसमें पक्षकारों के हितों का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। केवल तकनिकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए वाजदायरी आवेदन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.01.2020 को अपास्त किया जाता है एवं अपील संख्या 82/2012 मोहम्मद इब्राहिम बनाम बिस्मिल्ला को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (केन्द्र झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 27/4/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार II )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर